

जेश २१ | ✓

२०१९/१८ क्रि० ४/०१/१९

०३/०१/२०१९

अधिवक्ता वादी ने रजिस्ट्री बैनामा पेश करते हुये
वाद पर NO instruction किया है। हमने रजिस्ट्री
बैनामा दि. २२-११-१८ का अवलोकन किया। वादीगण
ने वादग्रस्त ऊराजी में से अपने हिस्से का बैचान
का दिया है। इस प्रकार आज वादीगण, वादग्रस्त
ऊराजी के तारेंदार नहीं होने से वादीगण का
बटवारे का यह वाद चलने योग्य नहीं है।

कतः वाद, वादी चलने योग्य नहीं होने
से खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में
शुमार होकर तम्बल से कम हो तब वाद
तामील तकमील दिहाविलक दफतर किया जावे।

हुई इलाकह में उचित रूप से कलामत का
अनुकूल रूप से कलामत किया जावे।
दिनांक ०३/०१/१९

सहायक जलकर
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

दिनांक ०३/०१/१९
अधिवक्ता